दिनांक–16 मई, 2013 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1. पटना में निर्माणाधीन बिहार संग्रहालय परियोजना के विभिन्न अवयवों पर होने वाले पुनरीक्षित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति एवं परियोजना के चयनित मास्टर प्लान कन्सल्टेन्ट के अनुबन्ध विस्तार की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

गृह विभाग

2. एस॰एल॰पी॰(सी॰) सं०–8519/2006 भारत सरकार बनाम गुजरात सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान रखते हुए राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने/पुनर्स्थापित करने/ विनियमित करने के लिए प्रस्तावित नियमावली के अधिसूचना– प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) पर मंत्री परिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

3. गंगा पम्प नहर योजना चौसा के अंतर्गत पंप हाउस का निर्माण कार्य हेतु 4699.00 लाख रू० (छियालीस करोड़ निनान्वे लाख रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति। — 3. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

4. विक्रमशीला पुल के अपस्ट्रीम में गंगा नदी के बांये तट पर अवस्थित खैरपुर, राघोपुर ग्रामों के निकट बाढ़ वर्ष 2013 के पूर्व कटाव निरोधक कार्य, जिसकी पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 2498.00 लाख रू० है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 4. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

5. बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDCO) में पदों के सृजन के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

वित्त विभाग

6. फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा के आलोक में मलेरिया इंस्पेक्टर के संशोधित वेतनमान में वेतन भुगतान के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

विधि विभाग

7. अनुमंडलीय न्यायालय डिहरी की स्थापना हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग–4) की श्रेणी में गैर योजना मद के अन्तर्गत प्रोसेस सर्वर के 7 (सात) पदों का वेतनमान PB1 + 1800 में सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. पटना जिला के अंचल–बिहटा, मौजा बाजितपुर, थाना संख्या–65, खाता संख्या–114, खेसरा संख्या–812, रकबा–0.7675 एकड़, खेसरा सं०–808, रकबा– 0.065 एकड़, खेसरा संख्या–875, रकबा–0.495 एकड़, अर्थात कुल रकबा–01.3275 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०–78 के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. पटना जिला के बिहटा अंचल में मौजा–अमहारा में थाना सं०–44, खाता सं०–625, खेसरा सं०–267 कुल रकबा– 0.40 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु उद्योग विभाग को इस शर्त्त पर अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में कि भविष्य में यदि जमीन किसी प्राधिकार/अभिकरण को हस्तांतरित की जाएगी तो नियमानुसार राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।

9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा–2 अंचल के मौजा–हरनाटाँड़, थाना नं०–39, खाता सं०–49, खेसरा सं०–90, रकबा–0.05 एकड़ (पाँच डिसमिल) गैर मजरूआ मालिक परती कदीम भूमि सौर ऊर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजना के स्थापना के निमित्त लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।

10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. व्यवहार न्यायालय, अरवल के भवन निर्माण हेतु अंचल–अरवल मौजा–वासिलपुर थाना नं०–13 खाता नं०–139 खेसरा नं०–142, 144, 145, 146, 197, 198, 199, 200, 204, 834, 859, 860, 861, 862 एवं 863 क्रमशः रकबा 1.10, 1.60, 0.79, 1.51, 0.04, 1.20, 0.43, 0.70, 1.04, 0.04, 0.04, 0.03, 0.15, 0.15 एवं 0.22 = 9.04 एकड़ कैसरे हिन्द नहर किस्म करहा धनहर भूमि विधि विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।

11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत ठकराहा में 132/33 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु मौजा– ठकराहां, थाना नं०–433, खेसरा सं०–7078 रकबा–2.28 (दो एकड़ अट्ठाइस डी०), गैर मजरूआ मालिक, परती कदीम भूमि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग), कम्पनी लिमिटेड, पटना को सशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

12. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. नालन्दा जिलान्तर्गत रहुई अंचल के मौजा–रहुई, थाना नं०–19, खाता सं०–378, खेसरा नं०–3723, रकबा– 4.00 एकड़ (चार एकड़) गैर मजरूआ आम किस्म पोखर भूमि, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।

13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–02.03.2012 के मद संख्या–21 में दी गई स्वीकृति के आलोक में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या–384 दिनांक–02.04.2012 (अनुलग्नक–1) को रद्द करते हुये पूर्वी चम्पारण जिले के कोटवा अंचल अन्तर्गत मौजा–कोटवा, थाना नं०–21 खाता नं०–517, खेसरा सं०–1939, रकबा–0.50 एकड़ (पचास डिसमिल) गैर मजरूआ आम डगर भूमि 9,000 (नौ हजार) रूपये प्रति डिसमिल की दर से 4,50,000 (चार लाख पचास हजार) रूपये सलामी तथा सलामी का 2 प्रतिशत लगान का 25 गुणा रूपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार) पूंजीकृत मूल्य अर्थात कुल रूपये 6,75,000 (छः लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना को हस्तान्तरण।

14. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

15. CWJC संख्या–7072/2011 पूनम कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक–20.10.2011 के आलोक में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आई०सी०डी०एस० के क्षेत्रीय कार्यालय जिला मुजफ्फरपुर में वादियों श्रीमती मुन्नी कुमारी, श्रीमती विभा कुमारी एवं श्रीमती कृष्णा कुमारी का संविदा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियुक्ति हेतु नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु अनुमति के संबंध में।

15. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

16. 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' के विभिन्न अवयवों यथा सेवा प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं कार्य–अनुसंधान, हेल्पलाईन योजना, अल्पावास गृह, रक्षा गृह, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, नारी निकेतन (सुधार गृह) तथा नवाचारी योजना के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति के संबंध में।

16. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

17. बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

18. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा–15 (1) एवं बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–12 (1) के आलोक में बैंड वेतन–9300– 34,800/–+ग्रेड वेतन–4800/–में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारियों की अवर सचिव/समकक्ष कोटि के पद पर बैंड वेतन–15,600–39,100/–+ग्रेड वेतन– 6600/–में नियमित/वैचारिक प्रोन्नति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

19. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यंत पिछड़ों वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–2 पर दर्ज कानू/हलवाई जाति से हलुवाई जाति को विलोपित कर उसे (हलुवाई को) अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची क्रमांक–118 पर स्वतंन्त्र रूप से शामिल करने के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा)

20. विशेष अनुमति याचिका संख्या–6369–6376/2005 में दिनांक–28.08.12 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वर्ष 2000 में विद्यालय सेवा बोर्ड से प्राप्त पैनल से जीव विज्ञान एवं विज्ञान (गणित) विषय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विशेष नियुक्ति नियमावली, 2013 की स्वीकृति एवं सृजित कुल 641 (छः सौ एकतालीस) (सहायक शिक्षक) पद पर नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21. नालंदा जिलान्तर्गत बेन अंचल के मौजा–एकसारा, थाना नं०–376, खाता सं०–468 एवं 469 खेसरा सं०–क्रमशः 310 एवं 399 रकबा क्रमशः 0.45 एकड़ गैर मजरूआ मालिक किस्म परती कदीम एवं 0.07 एकड़ गैर मजरूआ किस्म 'पईन' भूमि कुल रकबा 0.52 एकड़ गैर मजरूआ मालिक/गैर मजरूआ आम, बिहार सरकार की भूमि, राज्य योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 28,000/–रू० प्रति डिसमिल के दर से 14,56,000/–रू० सलामी एवं सलामी का 5% व्यवसायिक लगान अर्थात 72,800/–रू० का 25 गुणा अर्थात 18,20,000/–रूपये पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 32,76,000/–रूपये (बत्तीस लाख छिहत्तर हजार) के भुगतान पर बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

22. बिहार राज्य के अराजकीय वर्गीकृत प्रमंडलीय/जिला केन्द्रीय एवं अनुमंडलीय पुस्तकालयों के गैर योजना मद में स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहायक अनुदान की कुल ₹ 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

24. तदर्थ रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सब जज के पद पर कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति। — 24. स्वीकृत।

वित्त विभाग

25. बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन की मांगों पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय असंगति निराकरण समिति की अनुशंसा के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

कृषि विभाग

26. किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉटिकल्चर रिसर्च सेन्टर तथा इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक तथा फिसरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना, उक्त संस्थानों की स्थापना के लिए पाँच वर्षों में कुल 992.00 करोड़ रू० व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति, स्थापना मद में प्रस्तावित पदों तथा इस पर होने वाले व्यय की समीक्षा करने तथा समीक्षोपरांत पुनः राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने, आधारभूत संरचना के विकास हेतु वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक 562.50 करोड़ रूपये की लागत से प्रशासनिक स्वीकृति, आकस्मिकता मद में 50.00 लाख रूपये व्यय की स्वीकृति तथा वर्ष 2013–14 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय को 20.00 करोड़ रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 26. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

27. लखीसराय पथ प्रमंडलान्तर्गत लखीसराय बाईपास (कुल 6.593 कि०मी०, NH-80 से SH-08) का R.O.B निर्माण, कल्भर्ट निर्माण एवं लगभग 34 एकड़ भूमि–अधिग्रहण सहित निर्माण कार्य कुल 122.28295 करोड़ (एक सौ बाईस करोड़ अट्ठाईस लाख उनतीस हजार पाँच सौ) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

28. लोअर किउल नदीघाटी वीयर सिंचाई योजना के अंतर्गत कुन्दर वीयर के स्थान पर बराज निर्माण कार्य हेतु 2252.43 लाख रू० (बाईस करोड़ बावन लाख तैतालीस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति। — 28. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

31.	वर्ष 2013–14 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कुल 4430.50 लाख रू० (चौवालीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रू०) मात्र की लागत पर कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव।	31.	स्वीकृत।